न्यूज ब्रीफ

त्रिकालदर्शी भगवान महाकालेश्वर ने महाशिवरात्रि के दूसरे दिन पुष्प मुकुट धारण कर भक्तों को दिए दर्शन

उज्जैन। विश्व प्रसिद्ध बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक दक्षिण मुखी श्री महाकालेश्वर मंदिर में विराजमान भगवान श्री महादेव ने महाशिवरात्रि पर्व के दूसरे दिन 27 फरवरी को प्रातः पुष्प मुकुट (सेहरा) धारण कर भक्तों को अपने दिव्यरूप में दर्शन दिए। उसके उपरांत वर्ष में एक ही बार महाशिवरात्रि के दूसरे दिन भगवान श्री महाकालेश्वर की दोपहर में भस्मारती संपन्न हुई। बता दें कि महाशिवरात्रि पर्व पर लगातार भगवान शिव के दर्शन 44 घण्टे दर्शनार्थियों ने किये। भगवान श्री महाकालेश्वर जी के सवा मन पुष्प मुकुट (सेहरा) के दर्शन प्रातः से प्रारंभ हुआ तत्पश्चात पूर्वान्हः 10:30 बजे के लगभग मुकुट उतारा गया। इसके बाद अपराह्न 12 बजे भगवान महाकालेश्वर की वर्ष में एक बार दोपहर में होने वाली भस्मारती हुई। महाशिवरात्रि पर्व 26 फरवरी प्रातः 2:30 बजे से 27 फरवरी दोपहर 11 बजे तक लगभग 6 लाख 1 हजार 663 श्रद्धालुओं ने श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किये। 27 मार्च को सायं श्री महाकालेश्वर भगवान के पंचमुखारविंद दर्शन के साथ महाशिवरात्रि पर्व का समापन हुआ।

पुष्पों से सजा अंगारेश्वर महादेव का सेहरा

उज्जैन। महाशिवरात्रि महापर्व पर अंगारेश्वर महादेव मंदिर में महादेव का अद्भुत श्रृंगार कर सेहरा सजाया गया। पुजारी पं. मनीष उपाध्याय एवं रोहित गुरु के अनुसार पुष्पों से महादेव का सेहरा सजाकर मनोहारी श्रृंगार किया गया। सुबह आरती के पश्चात प्रसादी वितरण किया। साथ ही फरियाली खीर का वितरण किया गया। हजारों की संख्या में भक्तों ने बाबा अंगारेश्वर के दर्शन किये, वहीं शाम को महाआरती हुई।

मुख्यमंत्री मालीपुरा में शिव विवाह में हुए शामिल

उज्जैन। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव महाशिवरात्रि महापर्व पर मालीपुरा स्थित भगवान श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में आयोजित श्री शिव विवाह महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर के शिव विवाह का आनंद हमेशा इसी प्रकार बना रहे यही भगवान से मेरी प्रार्थना है।

दाऊदी बोहरा समाज का रमजान मुबारक आज से

सुसनेर। दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र रमजान महीना आज से प्रारंभ होगा। समाज के धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन मोला ने सुसनेर के दाऊदी बोहरा समाज की नजमी मस्जिद में नमाज अदा करवाने के लिए मुल्ला हातिम भाई को नियुक्त किया है। रमजान माह के दौरान मस्जिद में विशेष नमाज अदा की जाएगी। मस्जिद कमेटी द्वारा की गई व्यवस्थाओं के तहत एक माह तक नमाज के बाद दाऊदी बोहरा समाजजनों के लिए चाय और बिस्कुट की सुविधा रहेगी। साथ ही, शाम को सामूहिक भोजन की व्यवस्था जमातखाने में की गई है। उक्त जानकारी समाज के वरिष्ठ सदस्य मुरतुजा आंशिक हुसैन बोहरा चक्कीवाले ने दी।

सीएम और केंद्रीय मंत्री ने विक्रम व्यापार मेले का किया शुभारंभ

'युवा नवाचार करने के लिए आगे आएं एवं व्यापार में नए आयाम स्थापित करें'

पीपुल्स संवाददाता • उज्जैन
मो.नं. 7000811267

उज्जैन में महाशिवरात्रि के अवसर पर विक्रम उत्सव के साथ गुरुवार को उज्जैनी विक्रम व्यापार मेले का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत एवं जिम्बाब्वे के उपमंत्री एमके मोदी के मुख्य अतिथ्य में विक्रम व्यापार मेले का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, सभापति कलावती यादव और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह व्यापार मेला उज्जैन को व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित होने को प्रदर्शित करता है। उज्जैन पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक नगरी के साथ आज व्यापार का भी बड़ा केंद्र बन गया है। उज्जैन विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। बड़ी-बड़ी कंपनियां यहां आकर निवेश कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 30 लाख करोड़ से अधिक का निवेश मध्यप्रदेश को प्राप्त हुआ है। उज्जैन जिले को इसका लाभ मिलेगा। डॉ. यादव ने कहा कि मेले में जो छूट आपको प्राप्त हो रही है, वह स्वर्ण के समान ही है। उज्जैन के युवा नवाचार करने के लिए आगे आए और व्यापार में नए आयाम स्थापित करें।

विक्रम व्यापार मेले के शुभारंभ अवसर पर संबोधित करते हुए सीएम डॉ. यादव।

सीएम ने ग्राहक को सौंपी कार की चाबी

व्यापार मेले के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्राहकों को शुभकामनाए देते हुए कार की चाबी भी सौंपी। मेला परिसर में उन्होंने जिला पंचायत की ग्राम पंचायत को गीला, सूखा कचरा एकत्रित करने के लिए 10 कचरा वाहन की चाबी भी सौंपी। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री शेखावत व जिम्बाब्वे के उप मंत्री मोदी ने भी संबोधित किया। मेले में 10 से अधिक कार कंपिनयों द्वारा अपने स्टॉल यहां लगाए गए हैं, इसके साथ ही टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल कंपनी द्वारा भी अपने स्टॉल लगाए गए हैं।

हनीट्रेप मामले का दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार, कोर्ट में किया पेश

मामला नशीला पदार्थ खिलाकर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का

पीपुल्स संवाददाता • शाजापुर
मो.नं. 9826774550

कोतवाली पुलिस ने युवक को नशीला पदार्थ खिला उसका अश्लील वीडियो बनाने के मामले में दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायालय में पेश किया गया।

जानकारी के अनुसार 09 जनवरी 2025 को थाना कोतवाली पर फरियादी शरद द्वारा अंजाने में नशीले पदार्थ का नशा करवाकर फरियादी का आपत्तिजनक विडियो बनाने तथा विडियो को वायरल करने की धमकी एवं ब्लेकमेल कर पैसे एंठने के संबंध में आरोपीगण के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी जांच पर से थाना कोतवाली पर धारा 308 (2) 61 (2) बी.एन.एस का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने एसपी यशपालसिंह राजपूत के निर्देशन तथा एएसपी टीएस बघेल व एसडीओपी के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुये प्रकरण की आरोपिया रानू को 13 जनवरी को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। इसके बाद शेष आरोपी इंदर पिता प्रभुसिंह गुर्जर (42) निवासी सुल्तानपुरा थाना बेरछा को गुरूवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण में धारा 308 (6) 1,2,3 बी.एन.एस का ईजाफा किया गया। जिसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। आरोपी की गिरफतारी मे थाना प्रभारी कोतवाली संतोष वाघेला, उ.नि. जया सुनेरी, प्रधान आरक्षक रविसिंह सेंगर, आरक्षक जगदीश मीणा, महिला आरक्षक नेहा रैकवाल की मुख्य भूमिका रही।

शाजापुर। पुलिस गिरफ्त में आरोपी।

30 लाख रुपए की मांग की थी

आरोपी इंदर गुर्जर (42) कांग्रेस का शाजापुर जनपद उपाध्यक्ष है। वह सुल्तानपुरा बेरछा का रहने वाला है। जिसके खिलाफ जनपद अध्यक्ष शरद शिवहरे ने 9 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और आरोपियों ने उनसे 30 लाख रु. की मांग की थी। शिवहरे ने बताया था कि यह लोग वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर पैसों की मांग कर रहा थे।

मृतक के वारिस को आर्थिक सहायता स्वीकृत

शाजापुर। शाजापुर जिले के ग्राम बोलाई निवासी राजेन्द्र सिंह पिता धीरपसिंह की 25 सितम्बर 2024 को थ्रेसर मशीन से सोयाबीन निकालते समय थ्रेसर मशीन की चपेट में आ जाने से मृत्यु हो गई थी। इस पर कलेक्टर ऋजु बाफना ने मृतक राजेन्द्र सिंह के वैध वारिस उसकी पत्नी रेखा कुंवर के लिए मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना-2008 अंतर्गत 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।

नकली खाद-बीज एवं दवाई विक्रेताओं पर जारी रखें कार्रवाई

शाजापुर। नकली खाद, बीज एवं दवाई विक्रेताओं के विरूद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रखें। कृषि विभाग खाद, बीज एवं दवाईयों के सेम्पल लेने का कार्य सतत करते रहे। गुरुवार को यह निर्देश कलेक्टर ऋजु बाफना ने खरीफ 2025 की तैयारी की समीक्षा के दौरान दिए। कलेक्टर ने कहा कि बीज प्रमाणीकरण विभाग प्रमाणीकरण का कार्य समयसीमा में पूरा कराए। कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक कृषको को क्षेत्रानुसार कोन सी फसल उपयुक्त रहेगी इसके बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करें। खरीफ 2025 में किसानों के लिए उर्वरको की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरको का भण्डारण रखें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संतोष टैगोर, डिप्टी कलेक्टर अंकिता पाटकर, उपसंचालक कृषि केएस यादव, उद्यानिकी मनीष चौहान व डॉ. प्रशांत महाडिक, डॉ. जीआर अम्बावतिया, ओपी गुप्ता, सीईओ सीसीबी विशेष श्रीवास्तव, स्मृति व्यास, जेनिफर खान, किशोर महाजन सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

शाजापुर। कड़ी सुरक्षा में परीक्षा देते परीक्षार्थी।

एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा शुरू

13 हजार से अधिक छात्रों ने हल किया हिंदी का पेपर

पीपुल्स संवाददाता • शाजापुर
मो.नं. 9826774550

जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। 25 फरवरी को कक्षा 12वी का पहला पेपर हुआ था। जिसके बाद गुरूवार से कक्षा 10वीं की परीक्षा की हिन्दी के पेपर के साथ शुरूआत हुई। जिसमें 13 हजार 25 विद्यार्थी शामिल हुए।

इस परीक्षा में जिले के 13,205 नियमित और प्राइवेट विद्यार्थी शामिल हुए। परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित हो रही है। जिले में कुल 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में नकल रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं। विद्यार्थियों के जूते परीक्षा केंद्र के बाहर उतरवाए गए। शिक्षा विभाग की उड़न दस्ते टीमें भी लगातार केंद्रों का निरीक्षण कर रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रही है।

ट्रक चालक के घर ताला तोड़ घुसे बदमाश, आभूषण ले उड़े

पुलिस संदिग्ध से कर रही पूछताछ

पीपुल्स संवाददाता • शाजापुर
मो.नं. 9826774550

कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सदर कालोनी निवासी एक ट्रक चालक के घर में चोरी की वारदात का मामला गुरुवार को सामने सामने आया है। घटना 24-25 फरवरी की रात के बीच की है। पीड़ित ट्रक चालक 22 फरवरी को उज्जैन गया था। उसकी पत्नी डिलीवरी के लिए सारंगपुर में थी।

24 फरवरी को शाम 6 बजे पीड़ित की मां अमतुल बी और भाई जुबैर, बहन सईदा के घर आगर मालवा चले गए थे। 25 फरवरी को रात करीब 9.30 बजे जब पीड़ित घर लौटा तो घर का दरवाजा खुला मिला। मुख्य दरवाजे और अंदर के कमरे का ताला टूटा हुआ था। अलमारी का लॉक भी तोड़ा गया था। चोर घर से पुरानी चांदी की पायजेब, बच्चे के चांदी के कड़े, सोने का मंगलसूत्र, सोने का पेंडल, सोने की चंपा, मोती और नकदी ले गए। कोतवाली थाना प्रभारी संतोष वाघेला ने बताया कि चोरी के मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित की ओर से जताए गए संदेह के आधार पर एक व्यक्ति से पूछताछ कर मामले की जांच की जा रही है।

सार्वजनिक सूचना

ICICI Bank | शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लि., कार्यालय नं. 201-बी, दूसरी मंजिल, रोड नं.1 प्लाट नं.-बी3, वाईफाई आईटी पार्क, वागले इंडस्ट्रीयल एस्टेट, ठाणे (वेस्ट) महाराष्ट्र-400604

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को सौंपे गए अंतर्निहित पूल पर) द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस जारी किया जा रहा है। यह नोटिस डीएचएफएल और निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) के बीच किए गए ऋण समझौते के अनुसरण में दी गई आवास ऋण सुविधा से संबंधित सुरक्षा के प्रवर्तन के संबंध में है, जिन्होंने सुरक्षित ऋणदाता से प्राप्त ऋण सुविधा(ओं) के लिए मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है। ऋणों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उनके अंतिम ज्ञात पतों पर उन्हें एक नोटिस जारी किया गया था; हालाँकि, यह बिना तामील के वापस आ गया है और इसलिए, उन्हें इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से अधिसूचित किया जाता है।

स. क्र.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम और पता (डीएचएफएल पुराना लैन और आईसीआईसीआई नया लैन)	सुरक्षित परिसंपति का संपत्ति पता / लागू की जाने वाली परिसंपत्ति	नोटिस भेजे जाने की तिथि/ नोटिस की तिथि तक बकाया	एनपीए दिनांक
1.	कावेरी कौशल/ (00800014460 & QZIND0000 4997427)) और प्लॉट नंबर C-5/16 Lig-II, आवास नगर, मक्सी रोड, मध्य प्रदेश, देवास-455001	प्लॉट नंबर सी-5/16 एलआईजी-, आवास नगर, मक्सी रोड, मध्य प्रदेश, देवास-455001	January 24, 2025 Rs. 11,63,107.24/-	08-11-2024
2.	अनुप दुबे/ मानसी दुबे/ (QZIND00005042908/ 20900042156) 23/103, गली नंबर 1, ब्लॉक कॉलोनी, पुलिस लाइन, मध्य प्रदेश, भिंड-477001	प्लॉट नंबर 86, शिवांश पैराडाइज एक्सटेंशन, ग्राम भुरसा, आगर रोड, तहसील घट्टिया, मध्य प्रदेश, उज्जैन-456010	January 14, 2025 Rs. 20,45,444.44/-	08-11-2024
3.	विजय सिटोले/ कुसुमबाई सितोले/ (QZKHG00005019889/ 03700001004) मकान नंबर 66, के7, पिपल्या बुजुर्ग, तहसील महेश्वर, मध्य प्रदेश, खारेगांव-451225	प्लॉट नंबर डी-2/6, श्री नगर एक्सटेंशन, खसरा नंबर 72/1/3/1, पीएच नंबर 26, ग्राम मर्दनिया, मध्य प्रदेश, तहसील महेश्वर, खरगोन- 451225	January 17 2025 Rs. 6,73,553.96/-	08-11-2024

नोटिस की प्रतिस्थापित तामील के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त उधारकर्ता / और / या उनके गारंटर (लागू होते हैं) को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर बकाया भुगतान करने की सलाह दी जाती है अन्यथा प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और वित्तीय संपत्ति और सुरक्षा हित अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दिनांक : 28, फरवरी 2025
स्थान : इन्दौर

अधिकृत अधिकारी,
टीम आईसीआईसीआई बैंक

JM FINANCIAL | जेएम फाइनेंशियल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
कॉर्पोरेट पहचान संख्या: U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत कार्यालय: 7वी मंजिल, सेनर्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025
संपर्क व्यक्ति: 1. बाली प्रताप सिंह राठौर- 9826158208, 2. विशाल केटेले - 9584966653, 3. ज्योति सावंत 022 - 6224 1676
वेबसाइट - www.jmfinancialarc.com

ई-नीलामी बिक्री नोटिस-नवीनतम बिक्री

कि पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने ऋण का एक पूल (जिसमें नीचे उल्लेखित ऋण शामिल हैं) को अंतर्निहित सुरक्षा हित के साथ-साथ वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("SARFAESI ACT") की धारा 5 (1) (बी) के तहत सभी अधिकारों, शीर्षक और उस पर ब्याज के साथ 29 मार्च, 2023 ("असाइनमेंट एग्रीमेंट") के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से JMFARC (JM) (जिसे यहां असाइनी के रूप में संदर्भित किया गया है) के पक्ष में JMFARC -अरण्य -ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए सौंपा है। यह सूचित किया जाता है कि PCHFL को असाइनमेंट / सेवा समझौते के माध्यम से सभी परिचालन और प्रक्रियाओं की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदाता / संग्रह एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत और नियुक्त किया गया है। उधारकर्ता/ऋणकताओं से देय राशि की वसूली के लिए SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित सुरक्षित परिसंपति का कब्जा लेने के अनुसरण में, नीचे वर्णित अचल संपत्ति की खरीद के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जो कब्जे में है, 'जहां है जैसा है' के आधार पर, 'जो कुछ भी है जैसा है' के आधार पर, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

ऋण कोड/ शाखा/ उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटर	मांग नोटिस की तिथि और राशि	संपत्ति पता अंतिम	रिजर्व मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी) (आरपी का 10%)	बकाया राशि (26-02-2025)
ऋण कोड संख्या: 20900041736, इंदौर - विजय नगर (शाखा), नरेश गोठवाल (उधारकर्ता), सुगन गोठवाल (सह-उधारकर्ता 1)	दिनांक: 18-08-2021, रु.27,87,451/-, (रु. सत्ताईस लाख सत्तासी हजार चार सौ इक्यावन मात्र)	संपति का पूरा हिस्सा और पार्सल जिसकी सीमा है :- मुनि एच. नं. 19 न्यू 256 ओल्ड का पूर्वी भाग, कालिदास मार्ग पथ नं. 4, गली नं. 1, कंचनपुरा, वार्ड नं. 43/393, उज्जैन मध्य प्रदेश:- 456010 सीमाएँ:- उत्तर: गली दक्षिण: कॉलोनी रोड पूर्व: मकान नं. 18 न्यू (255 पुराना) पश्चिम: मकान नं. 19 का शेष भाग (256 पुराना)	रु. 15,42,500/- (रु. पन्द्रह लाख बयालीस हजार पांच सौ मात्र)	रु. 1,54,250/-, (रु. एक लाख चौवन हजार दो सौ पचास मात्र)	रु. 47,27,325/-, (रु. सैंतालिस लाख सत्ताईस हजार तीन सौ पच्चीस मात्र)
ऋण कोड संख्या: 00800012092, इंदौर - विजय नगर (शाखा), श्री शंकर कंस्ट्रक्शन (उधारकर्ता), विष्णुप्रसाद पाटीदार (सह-उधारकर्ता 1) संगीता पाटीदार (को उधारकर्ता 2)	दिनांक: 18-08-2021, रु. 1,33,53,566/-, (रु. एक करोड़ तैंतीस लाख तिरपन हजार पांच सौ छियासठ मात्र)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका विस्तार है:- भूमि पर संपत्ति सर्वे नं.299 और 303, ग्राम फूलखेड़ी, वार्ड नं.01 नया नं.29, पी.एच. नं.40 नया नं.14 ए.बी. रोड शाजापुर मध्य प्रदेश:- 465001	रु. 74,52,000/- (रु. चौहत्तर लाख बावन हजार मात्र)	रु. 7,45,200/- (रु. सात लाख पैंतालीस हजार दो सौ मात्र)	रु. 2,36,99,522/- (रु. दो करोड़ छत्तीस लाख निन्यानबे हजार पांच सौ बाईस मात्र)

ई-नीलामी की तिथि: 31-03-2025, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 29-03-2025, शाम 04:00 बजे से पहले

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://www.jmfinancialarc.com/Home/Assetsforsale या https://www.bankauctions.in पर दिए गए लिंक को देखें।

सरफेसी अधिनियम के तहत ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता को 30 दिन का वैधानिक विक्रय नोटिस

उपर्युक्त ऋणी/गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि वे धारा 13(2) में उल्लिखित राशि नीलामी की तिथि से पहले की तिथि तक अर्जित ब्याज सहित पूरी तरह से अदा करें, अन्यथा संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी तथा बकाया राशि यदि कोई होगी तो उसे ऋणी/गारंटर से ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांक: 28 फरवरी, 2025, स्थान: उज्जैन, शाजापुर
हस्ती/- (प्राधिकृत अधिकारी) (अरण्य - ट्रस्ट)